भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-1671
उत्तर देने की तारीख-10/03/2025

प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर अधिगम के परिणाम

†1671. श्रीमती महिमा कुमारी मेवाड़:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने संपूर्ण देश में अधिगम और शिक्षा के परिणामों के लिए उत्तरदायित्व के मापन के संबंध में कोई आकलन किया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) सरकार द्वारा मूलभूत शिक्षा में और विशेष रूप से प्राथमिक और माध्यमिक स्तरों पर कमियों को दूर करने और शैक्षिक परिणामों में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;
(ग) सरकार द्वारा बेहतर शिक्षण परिणाम प्राप्त करने में शिक्षकों, स्कूलों और प्रशासकों के लिए उत्तरदायित्व तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;
(घ) क्या सरकार ने अधिगम के परिणामों में सुधार करने के लिए नवीन शिक्षण विधियों या प्रौद्योगिकी-आधारित समाधानों को शुरू किया है या शुरू करने का विचार है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ड.) सरकार को पिछले पांच वर्षों के दौरान ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों में छात्रों के बीच अधिगम के स्तर में सुधार लाने में क्या उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जयन्त चौधरी)

(क): जी हां, भारत सरकार पूरे देश में अधिगम और शिक्षा के परिणामों को मापने के लिए बड़े पैमाने पर मूल्यांकन करती है। स्कूली शिक्षा के विभिन्न चरणों में छात्रों के अधिगम के स्तर का आकलन करने के लिए वर्ष 2017 और फिर वर्ष 2021 में राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (एनएएस) किया गया था।

एनएएस 2017 और एनएएस 2021 ने भाषा, गणित, पर्यावरण अध्ययन, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में कक्षा 3, 5, 8 और 10 में छात्रों के प्रदर्शन का व्यापक अवलोकन प्रदान किया। राज्यवार और जिलावार रिपोर्ट कार्ड सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध हैं और इन्हें https://nas.gov.in/report-card पर देखा जा सकता है।

इन प्रयासों को जारी रखते हुए, शिक्षा मंत्रालय के तत्वावधान में राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र, परख द्वारा 4 दिसंबर, 2024 को परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 किया गया था। यह सर्वेक्षण भारत के मूल्यांकन ढांचे में एक महत्वपूर्ण प्रगति को चिह्नित करता है, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के उद्देश्यों के साथ अनुकूलित है, जो योग्यता-आधारित शिक्षा और मूल्यांकन सुधारों पर जोर देता है। परख सर्वेक्षण विभिन्न सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि और क्षेत्रीय संदर्भों में छात्र अधिगम की विस्तृत, बारीक समझ प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, यह सुनिश्चित करता है कि शैक्षिक नीतियां डेटा-संचालित हों और समान अधिगम में सुधार के लिए लक्षित हों। सरकारी, सहायता प्राप्त और निजी स्कूलों के 74000 स्कूलों, 2.70 लाख शिक्षकों और 21 लाख छात्रों की भागीदारी के साथ, सर्वेक्षण का डेटा संग्रह और विश्लेषण जवाबदेही तंत्र को मजबूत करने और भविष्य के शैक्षिक सुधारों का मार्गदर्शन करने के उद्देश्य से है।

(ख): स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग (डीओएसई&एल) वर्ष 2018-19 से स्कूल शिक्षा के लिए एक एकीकृत केंद्र प्रायोजित योजना - समग्र शिक्षा को लागू कर रहा है। समग्र शिक्षा योजना को नई शैक्षणिक और पाठ्यचर्या संरचना (5 + 3 + 3 + 4), प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा (ईसीसीई) और मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकज्ञान (एफएलएन) जैसे विभिन्न उपायों के माध्यम से शिक्षा और शैक्षिक परिणामों की गुणवत्ता में सुधार पर ध्यान देने के साथ एनईपी 2020 के साथ जोड़ा गया है और बालवाटिका (प्रीस्कूल) से 12 वीं कक्षा तक 3 वर्ष की शिक्षा की संपूर्ण निरंतरता को कवर करता है।

"बेहतर समझ और संख्यात्मक ज्ञान के साथ पढ़ाई में प्रवीणता के लिये राष्ट्रीय पहल (निपुण भारत)" नामक एक राष्ट्रीय मिशन दिनांक 5 जुलाई, 2021 को शुरू किया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि देश का प्रत्येक बच्चा कक्षा 2 के अंत तक बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकज्ञान प्राप्त कर ले। समग्र शिक्षा के तहत, सभी 36 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र निपुन-भारत मिशन को लागू कर रहे हैं।

एनईपी 2020 में प्रासंगिक अवधारणाओं को विकसित करने और बच्चों के स्कूल जाने पर इष्टतम अधिगम की सुविधा के लिए अपेक्षित दक्षता प्राप्त करने पर जोर दिया गया है। समग्र विकास को ध्यान में रखते हुए, 29 जुलाई, 2021 को कक्षा 1 के लिए 3 महीने का खेल आधारित 'स्कूल तैयारी मॉड्यूल और दिशानिर्देश' 'विद्या प्रवेश' नाम से लॉन्च किया गया। विद्या प्रवेश कार्यक्रम का लक्ष्य विभिन्न पृष्ठभूमि से कक्षा-1 में प्रवेश करने वाले सभी बच्चों में स्कूल की तैयारी को बढ़ावा देना और समग्र विकास के लिए एक आनंदमय और रोचक वातावरण में खेल आधारित, उम्र और विकास के अनुकूल अधिगण के अनुभव प्रदान करना है। 12-सप्ताह के मॉड्यूल में कक्षा 1 में प्रवेश करने वाले बच्चों के लिए विकासात्मक रूप से उपयुक्त निर्देश शामिल हैं ताकि बच्चे की साक्षरता, संख्यात्मकज्ञान, संज्ञानात्मक और सामाजिक कौशल को मजबूत किया जा सके। सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विद्या प्रवेश कार्यक्रम को लागू कर रहे हैं। फाउंडेशनल स्टेज (बालवाटिका के 3 वर्ष और कक्षा 1 और 2) में अधिगम परिणामों में सुधार करने के लिए, फाउंडेशनल स्टेज के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा (एनसीएफ-एफएस) दिनांक 20 अक्टूबर, 2022 को जारी की गई, जिसमें पाठ्यक्रम, शिक्षकों के प्रशिक्षण, शिक्षण सामग्री

(एलटीएम) आदि के लिए एक संरचना प्रदान की गई। तदनुसार, बालवाटिका (प्री-स्कूल के 3 वर्ष) के लिए जादूई पिटारा और कक्षा 1 और 2 के लिए पुस्तकें राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के उपयोग के लिए एनसीईआरटी द्वारा उपलब्ध कराई गई हैं।

जादूई पिटारा - 3 से 6 वर्ष के आयु वर्ग के लिए सीखने-सिखाने की सामग्री का एक संग्रह विकसित किया गया है और 20 फरवरी, 2023 को लॉन्च किया गया है। जादूई पिटारा एक बॉक्स है जिसमें मूलभूत चरण के लिए 53 शिक्षण शिक्षण सामग्री (एलटीएम) हैं। इसमें खिलौने, खेल, पहेलियाँ, कठपुतलियाँ, पोस्टर, फ़्लैशकार्ड, कहानी कार्ड, छात्रों के लिए प्ले बुक सेट और शिक्षकों के लिए हैंडबुक हैं।

ई-जादुई पिटारा (ई-जेपी) दिनांक 10 फरवरी 2024 को लॉन्च किया गया था। ई-जेपी एक ऐप और वेबसाइट है जिसमें खेल-आधारित शिक्षाशास्त्र के साथ नवीनतम तकनीक का एकीकरण है और यह जादूई पिटारा की शिक्षा को प्रसारित करने और इसे कक्षा की चार दीवारों से परे ले जाने का एक तरीका है। ऐप में वर्तमान में 14 भाषाओं में 1,000 से अधिक कहानियाँ हैं।

(ग) से (ङ): भारत सरकार ने बेहतर शिक्षण परिणाम प्राप्त करने में शिक्षकों और स्कूल प्रशासकों के लिए जवाबदेही तंत्र को मजबूत करने के लिए कई उपाय किए हैं। इस संबंध में एक महत्वपूर्ण पहल राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र, परख की स्थापना है, जो मानक निर्धारित करने, बड़े पैमाने पर मूल्यांकन करने और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए साक्ष्य-आधारित नीति सिफारिशें करने के लिए एक केंद्रीय निकाय के रूप में कार्य करता है। परख मानकीकृत मूल्यांकन ढाँचे को विकसित करने, विभिन्न शिक्षा बोर्डों में मूल्यांकन में एकरूपता सुनिश्चित करने और राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के साथ अनुकूलित योग्यता-आधारित मूल्यांकन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अतिरिक्त, समग्र प्रगति कार्ड (एचपीसी) की शुरूआत ने छात्रों के मूल्यांकन को बदल दिया है, जिससे शिक्षार्थियों का समग्र मूल्यांकन प्रदान किया गया है, जो केवल अकादमिक प्रदर्शन के बजाय संज्ञानात्मक, सामाजिक-भावनात्मक और कौशल-आधारित विकास पर ध्यान केंद्रित करता है। यह बदलाव शिक्षकों और स्कूल प्रशासकों को सीखने के लिए अधिक व्यक्तिगत, छात्र-केंद्रित दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। जवाबदेही को और बढ़ाने के लिए, स्कूली शिक्षा में गुणवत्ता मानकों का पालन सुनिश्चित करने, स्कूल प्रशासन में पारदर्शिता और दक्षता को मजबूत करने के लिए राज्य स्कूल मानक निर्धारण प्राधिकरण (एसएसएसए) की स्थापना की गई है। इसके अलावा, स्कूल गुणवत्ता मूल्यांकन और आश्वासन ढांचा (एसक्यूएएएफ) स्कूलों को स्वयं मूल्यांकन करने और अपने समग्र प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए एक संरचित तंत्र प्रदान करता है। सरकार ने राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय कार्यशालाओं, प्रशिक्षण मॉड्यूल और संवेदीकरण कार्यक्रमों सहित विभिन्न क्षमता निर्माण कार्यकलापों को भी लागू किया है। ये पहल शिक्षकों को आधुनिक शैक्षणिक कौशल से सुसज्जित करती हैं, उन्हें योग्यता-आधारित मूल्यांकन तकनीकों से परिचित कराती हैं और अधिगम अंतराल को प्रभावी ढंग से कम करने की उनकी क्षमता को बढ़ाती हैं।

एनईपी के उद्देश्यों और अंतर्निहित कार्यकलापों को वृहत् और सूक्ष्म दोनों स्तरों पर व्यवस्थित रूप से ट्रैक करने के लिए, के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय डिजिटल शैक्षिक वास्तुकला (एनडीईएआर) अनुरूप विद्या समीक्षा केंद्र (वीएसके) शुरू किए गए हैं।

वीएसके को शैक्षिक पहलों और उनके अंतिम परिणामों की निगरानी की प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए डिज़ाइन की गई कार्यनीतियों के साथ विकसित किया गया है। वीएसके की एक प्रमुख विशेषता बीच में पढ़ाई छोड़ने वाले छात्रों की ट्रैकिंग, एक स्कूल से दूसरे स्कूल में जाने वाले छात्रों की निगरानी, अधिगम परिणामों की प्रगति और विभिन्न कार्यकलापों की वास्तविक समय की निगरानी है, जिसका उद्देश्य पहुँच में सुधार, छात्रों के शैक्षणिक प्रदर्शन और स्कूलों में शिक्षकों की जवाबदेही को बढ़ाना है। वीएसके की समग्र वास्तुकला अन्य बातों के साथ-साथ छात्रों और शिक्षकों की उपस्थिति, छात्रों का मूल्यांकन, स्कूलों की मान्यता, छात्रों के लिए अनुकूली शिक्षा, विभिन्न प्रबंधन प्रकारों के तहत स्कूलों के प्रशासन की निगरानी करने में मदद करती है। वीएसके बेहतर कार्यान्वयन और परिणामों के लिए योजना के डेटा विश्लेषण में मदद करता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के पैरा 5.15 और 5.16 में शिक्षकों के सतत व्यावसायिक विकास (सीपीडी) पर जोर दिया गया है। इन पैरा में इस बात पर जोर दिया गया है कि प्रत्येक शिक्षक से अपेक्षा की जाएगी कि वह अपने स्वयं के हितों से प्रेरित होकर अपने स्वयं के व्यावसायिक विकास के लिए प्रति वर्ष कम से कम 50 घंटे के सीपीडी अवसरों में भाग लें। इसी तरह, स्कूल प्राचार्यों और स्कूल कॉम्प्लेक्स के अग्रणियों से अपेक्षा की जाती है कि वे प्रति वर्ष 50 घंटे या उससे अधिक सीपीडी मॉड्यूल में भाग लें, जिसमें नेतृत्व और प्रबंधन के साथ-साथ योग्यता-आधारित शिक्षा के आधार पर शैक्षणिक योजनाओं को तैयार करने और लागू करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए विषय-वस्तु और शिक्षाशास्त्र शामिल हो।

इन लक्ष्यों के अनुरूप, शिक्षा मंत्रालय निष्ठा (स्कूल प्रमुखों और शिक्षकों की समग्र उन्नति के लिए राष्ट्रीय पहल) नामक एक एकीकृत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से सीखने के परिणामों को बेहतर बनाने के लिए एक राष्ट्रीय मिशन को लागू कर रहा है। निष्ठा पाठ्यक्रम एनसीईआरटी द्वारा दीक्षा प्लेटफॉर्म पर उच्च गुणवत्ता वाले पेशेवर रूप से बनाए गए ई-कंटेंट का उपयोग करके ऑनलाइन संचालित किए जाते हैं। ये पाठ्यक्रम प्राथमिक, माध्यमिक, आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मकज्ञान (एफएलएन) और प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा (ईसीसीई) के लिए शुरू किए गए हैं।

शिक्षकों के पेशेवर विकास में सहायता देने के लिए शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक (एनपीएसटी) और राष्ट्रीय मार्गदर्शन मिशन (एनएमएम) विकसित किए गए हैं। एनपीएसटी विभिन्न कैरियर चरणों में प्रभावी शिक्षण के लिए आवश्यक योग्यताओं की रूपरेखा तैयार करता है। एनएमएम शिक्षकों को पेशेवर और व्यक्तिगत सहायता प्रदान करने के लिए सलाहकारों का एक मजबूत नेटवर्क बनाने पर ध्यान केंद्रित करता है। एनपीएसटी मार्गदर्शक दस्तावेज़ और एनएमएम ब्लूबुक को व्यापक प्रसार के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ साझा किया गया है।

इसके अलावा, समग्र शिक्षा की एकीकृत केन्द्र प्रायोजित योजना के तहत, शिक्षक प्रशिक्षण सहित योजना के विभिन्न कार्यकलापों/घटकों के कार्यान्वयन के लिए योजना के कार्यक्रमगत और वित्तीय मानदंडों के अनुसार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है और साथ ही देश में सभी 613 क्रियाशील डीआईईटी के चरणबद्ध तरीके से भौतिक उन्नयन के लिए भी सहायता प्रदान की जाती है ताकि डीआईईटी द्वारा प्रदान किए जाने वाले सेवाकालीन प्रशिक्षण को मजबूत किया जा सके।

सरकार ने अधिगम परिणामों को बढ़ाने के लिए कई नवीन शिक्षण पद्धतियाँ और प्रौद्योगिकी-आधारित समाधान प्रस्तुत किए हैं, जो क्षमता निर्माण कार्यशालाओं, बड़े पैमाने पर मूल्यांकन और राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र, परख के तहत समग्र प्रगति कार्ड (एचपीसी) जैसी प्रमुख पहलों जैसे कार्यकलापों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। ये प्रयास राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के अनुरूप हैं, जो योग्यता-आधारित शिक्षा, प्रौद्योगिकी एकीकरण और समग्र छात्र विकास पर जोर देता है। शिक्षकों को आधुनिक शैक्षणिक रणनीतियों से सुसज्जित करने के लिए देश भर में क्षमता निर्माण कार्यशालाएँ आयोजित की जा रही हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे नवीन मूल्यांकन तकनीकों को लागू करने और छात्र जुड़ाव बढ़ाने के लिए अच्छी तरह से तैयार हैं। राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (एनएएस) और परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण जैसे बड़े पैमाने पर मूल्यांकन छात्र सीखने के परिणामों में महत्वपूर्ण अनुभव प्रदान करते हैं, कमी की पहचान करते हैं और साक्ष्य-आधारित नीति गत उपाय को सक्षम करते हैं।

समग्र प्रगति कार्ड (एचपीसी) का कार्यान्वयन पारंपरिक रिपोर्ट कार्ड से व्यापक, बहुआयामी छात्र मूल्यांकन की ओर एक परिवर्तनकारी बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है। एचपीसी अधिगम संज्ञानात्मक, सामाजिक-भावनात्मक और व्यावसायिक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करता है, जो छात्र प्रगति का अधिक सटीक और व्यक्तिगत मूल्यांकन प्रदान करता है। डिजिटल उपकरणों और डेटा-संचालित अनुभव का लाभ उठाकर, ये पहल शिक्षा प्रणाली में जवाबदेही को मजबूत करती हैं और देश भर में अधिगम परिणामों को बेहतर बनाने के लिए साक्ष्य-आधारित नीति निर्णयों का समर्थन करती हैं।

भारत सरकार समग्र शिक्षा योजना के माध्यम से राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को मौजूदा सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में अधिगम के परिणामों को मजबूत करने, संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर बुनियादी सुविधाओं के निर्माण और संवर्द्धन में सहायता करती है। इसके अलावा, समग्र शिक्षा के तहत निम्नलिखित योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों और शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों पर विशेष ध्यान दिया जाता है:

i. कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (केजीबीवी): समग्र शिक्षा के तहत, केजीबीवी का प्रावधान है जो वंचित समूहों जैसे एससी, एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यक और गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) की बालिकाओं के लिए कक्षा VI से XII तक के आवासीय विद्यालय हैं। केजीबीवी शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों में स्थापित किए जाते हैं। केजीबीवी की स्थापना के पीछे उद्देश्य आवासीय विद्यालयों की स्थापना करके वंचित

समूहों की बालिकाओं तक पहुँच और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना और स्कूल शिक्षा के सभी स्तरों पर लैंगिक अंतर को कम करना है। देश भर में जनवरी, 2025 तक 5133 केजीबीवी में लगभग 1.93 लाख एससी, 1.83 लाख एसटी, 46,858 बीपीएल, 2.59 लाख ओबीसी और 28,761 मुस्लिम छात्राएँ नामांकित की गई हैं।

ii. नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय (एनएससीबीएवी) - समग्र शिक्षा एनएससीबीएवी नामक के तहत आवासीय सुविधाओं के प्रावधान का समर्थन करती है, जिसका प्राथमिक उद्देश्य, शहरी वंचित बालिकाओं और अन्य वंचित बच्चों तक पहुंचना और दूरदराज के, कम आबादी वाले और पहुंचने में कठिन क्षेत्रों, पहाड़ी इलाकों, वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) से प्रभावित क्षेत्रों, जंगलों, जलमार्गों, नदियों आदि जैसी प्राकृतिक बाधाओं वाले बड़े निर्जन क्षेत्रों में स्कूल शिक्षा तक समान पहुंच बनाना है। समग्र शिक्षा के तहत जनवरी, 2025 तक, 1182 आवासीय विद्यालय/छात्रावास स्वीकृत हैं।

iii. प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम-जनमन) जिसका उद्देश्य विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के घरों और बस्तियों को सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल और स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण तक बेहतर पहुंच, सड़क और दूरसंचार संपर्क, अविद्युतीकृत घरों का विद्युतीकरण और मिशन मोड में स्थायी आजीविका के अवसरों जैसी बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था करना है। शिक्षा मंत्रालय अभियान में भाग लेने वाले मंत्रालयों में से एक है और पीएम-जनमन को समग्र शिक्षा योजना के साथ मिलकर लागू किया जा रहा है। इस मंत्रालय द्वारा जनवरी, 2025 तक, 194 छात्रावासों के लिए 476.16 करोड़ रुपये की धन राशि स्वीकृत की गई है।

*****